

**Government of Himachal Pradesh  
Department of Social Justice & Empowerment**

No. SJE-A-F(2)-1/2021

Dated: Shimla-2, the

11<sup>th</sup> June, 2021

**NOTIFICATION**

The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the scheme for Marriage Grant to BPL Girls/Women namely "Shagun" which shall be applicable throughout the State of Himachal Pradesh W.e.f.01-04-2021.

**1. Aim and Objectives:-**

The main purpose of the scheme is to provide financial assistance to the parents/guardians or the girl herself if her parents are not alive/traceable for marriage of their girls who belong to BPL family, above 18 years of age and bonafide resident of Himachal Pradesh. The marriage grant will be given even if the girl from Himachal Pradesh is marrying a boy from outside the state of Himachal Pradesh.

**2. Process of Application:-**

Application should be made in the prescribed form at annexure "A" by the parents/guardians/the girls herself, in case she is destitute to the concerned Child Development Project Officer/Incharge Nari Sewa Sadan/Superintendent Balika Ashram. The Child Development Project Officer/Incharge Nari Sewa Sadan/ Superintendent Balika Ashram will verify the antecedents contained in the application.

**3. Rate of Grant:-**

The marriage grant(@) Rs. 31000/- (Thirty one thousand only) in each case shall be admissible to the parents/guardians of the girl/women for their marriage. The State Government shall be competent to increase the amount from time to time keeping in view the cost of living .

**4. Power of Sanction:-**

The District Programme officer shall be competent to sanction a marriage grant of Rs. 31000/- to bonafide Himachali girls/women who are above 18 years for their marriage.



**5. Drawing & Disbursement of grant:-**

The grant will be drawn and disbursed by the District Programme Officer to the Child Development Project Officer of the concerned Project who shall further disburse it to the beneficiaries. The amount may be paid two months in advance of the proposed date of marriage. If the marriage has already taken place, the grant shall be disbursed even after the applicant applies for the grant of marriage, within a period of six months. In case the applicant applies after a period of six months from the date of marriage, the application shall not be considered and no benefit shall be given. The Child Development Project Officer will maintain separate record for the scheme and Audit of Accounts of expenditure shall be conducted like other schemes under the Child Development Project Officer. The money will be transferred into the bank account of the concerned applicant.

**6. Verification:-**

Child Development Project Officer/ Incharge of State Home / Nari Sewa Sadan/ Superintendent Balika Ashram concerned shall verify that particulars mentioned by the applicant in the application form are correct and that he/ she has not been benefited under Mukhya Mantri Kanyadan Yojna or any other similar departmental scheme for marriage grant. The concerned officer/official shall also verify that the marriage has actually taken place and the amount has been properly utilized for the purpose for which it has been sanctioned.

**7. Terms and Conditions:-**

(a). The parents /guardians of the girls/women or the girl herself, in case her parents are not alive / traceable shall have to supply the following documents along with their application :-

- i) Certificate of bonafide resident of Himachal Pradesh of the applicant/girl.
- ii) BPL certificate of parents/ guardian or the proposed bride herself in case her parents are not alive /traceable certified by the competent authority.
- iii) Proof of date of birth of the girl issued by the competent authority.
- iv) Proposed date of marriage of girl duly certified by Pradhan Gram Panchyats/ Councilors of Urban Local Bodies and In-charge of Nari Sewa Sadan/Superintendent, Balika Ashrams concerned.



- v) In case marriage has already been performed, certificate from the concerned Marriage Registrar i.e Secretary, Gram Panchayat/Executive Officer, Nagar Panchayat/ Nagar Parishad/Municipal Corporation as declared under H.P. Marriage Registration Act, 1996.
- vi) If the Parents of the girl are not alive then death certificate/ non traceable/ missing certificate issued by the Gram Panchayat/ M.C. may be submitted.
- vii) Name and address of the boy with whom marriage is proposed, certified by Gram Panchayat/ MC.
- viii) Proof of date of birth of boy issued by the competent authority (The boy should not be less than 21 years of age)
- b) The applicant will be eligible to apply only in one of the two marriage grant scheme of the department i.e. either Mukhyamantri Kanyadan Yojna or Shagun Yojna subject to eligibility criteria and shall submit a declaration to this effect.
- c) If the amount of grant is not utilized by parents/ guardian/ the girl herself for the purpose for which it was sanctioned within a period of three months from the date of disbursement, it shall be refunded back to the Child Development Project Officer concerned immediately.

8. Head of Accounts:-

The expenditure involved will be debitable following Head of Accounts: 2235-02-102-24-SOON-V, subject to change from time to time by the Government.

By Order


Sanjay Gupta  
Additional Chief Secretary (SJ&E) to the  
Government of Himachal Pradesh

Endst. No.: As above.

Dated : Shimla-02, the 11<sup>th</sup> June, 2021

Copy forwarded to:-

1. All the Administrative Secretaries in H.P.
2. The Director (WCD) with reference to his letter No. WCD-H(C)F-1/2021-Shagun.-3364 for information please.
3. All the Head of Departments in H.P.
4. All the Deputy Commissioners in H.P.
5. All the District Programme Officers in H.P.
6. All the Child Development Project Officer in H.P.
7. The Accountant General (Audit) H.P. Shimla-3
8. The Controller, Printing & Stationery, H.P. Shimla-3 for publication in the Rajpatra.

  
(T.R. Parmar)

Deputy Secretary (SJ&E) to the



- 1 -

Annexure-'A'

**Form**

**Application for marriage grant to Girl/Women under Shagun Scheme**

|  |            |
|--|------------|
| 1. Name of applicant _____   | Photograph |
| 2. Name of the girl _____  |            |
| 3. Father's Name _____   |            |
| 4. Mother's Name _____   |            |
| 5. Guardian's Name _____   |            |
| 6. Permanent Home Address of applicant<br>Vill. _____ PO. _____ Pin Code _____<br>Panchayat _____ Teh. _____ Distt. _____  |            |
| 7. Date of birth of the girl _____   |            |
| 8. Bank Detail of applicant: _____<br>Account no. , IFSC code & Branch Name  |            |
| 9. Occupation of father/mother/ guardian of the girl _____   |            |
| 11. 10. BPL Number _____   |            |
| 11. Name, and address of person with whom, the girl is being married.<br>Name _____ S/o Sh/Smt. _____<br>Vill. _____ PO. _____ Pin Code _____<br>Panchayat _____ Teh. _____ Distt. _____ |            |
| 12. Date of birth of boy with whom, the girl is being married _____  |            |
| 13. Proposed date of marriage _____  |            |
| 14. Actual date of marriage _____<br>if marriage has already taken place.  |            |
| 15. Date/ Number of marriage registration _____  |            |
| 16. Amount of assistance _____   |            |

Signature of the Applicant  
(Father/ Mother/ Guardian)

Signature of the proposed

Date:-

- 5 -

**Declaration**

I \_\_\_\_\_ daughter/son/wife of  
Sh. \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_  
Post Office \_\_\_\_\_ Teh. \_\_\_\_\_  
Distt. \_\_\_\_\_ (H.P.) solemnly affirm that all the particulars given in the  
application form are genuine. Nothing is invalid and no fact has been concealed. I  
also declare that I have not/will not avail the marriage grant under Mukhyamantri  
Kanyadan Yojna or any other scheme of similar nature.

Signature of Applicant/thumb impression

**Following documents are required to be enclosed along with application form:-**

1. Birth certificate of girl & boy..
2. Himachali Bonafide certificate of girl issued by competent revenue officer.
3. BPL Certificate of parents /guardian of the girl issued by the competent authority.
4. Copy of bank account pass book of the applicant.
5. Certificate of proposed date of marriage issued by Gram Panchayats/MC/ Nagar Panchayat.
6. In case, if marriage has already taken place, certificate issued by the marriage registrar.
7. In case of death /missing of parents, certificate issued by the Gram Panchayat/ M.C.

**Certification by the Gram Panchayat/M.C.**

It is certified that Sh./Smt./Ku. \_\_\_\_\_  
daughter/son/wife of Sh/Smt. \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_  
Post-Office \_\_\_\_\_ Teh \_\_\_\_\_ Distt. \_\_\_\_\_ (H.P.)  
belongs to BPL family, having B.P.L. number \_\_\_\_\_

Signature

Signature

Pradhan Gram Panchayat  
(Stamp)

Secretary Gram Panchayat/Nagar  
Panchayat/Executive Officer of M.C  
(Stamp)

Date :-

**Verification report**

Certified that particulars given in the application form submitted by Sh./Smt./Ku. \_\_\_\_\_ daughter/son/wife of Sh/Smt. \_\_\_\_\_ Village \_\_\_\_\_ Post-office \_\_\_\_\_ Teh \_\_\_\_\_ Distt. \_\_\_\_\_ (H.P.) have been verified and found eligible as per the guidelines of the scheme. Hence recommended for sanction of marriage grant under the Shagun Scheme 2021. It is also verified that the applicant has not availed/applied for the marriage grant under Mukhyamantri Kanyadan Yojna or any other scheme of similar nature of this Department.

Date:-

Signature of Child Development Project Officer/  
Incharge Nari Seva Sadan/ Superintendent Balika Ashram  
(Stamp )



-7-

हिमाचल प्रदेश सरकार  
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

सं.0: एस0जे0 ई0 -ए0-फ(2) 1/2021

दिनांक 11 जून, 2021

**अधिसूचना**

राज्यपाल हिमाचल प्रदेश बीपीएल लड़कियों/महिलाओं को विवाह अनुदान के लिए "शगुन" योजना को सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह योजना पूरे हिमाचल प्रदेश में 01-04-2021 से लागू होगी।

**1. उद्देश्य**

योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे माता-पिता/संरक्षक अथवा स्वयं लड़की यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं है व लापता है, को लड़की की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो कि बीपीएल परिवार से संबधित हैं तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और हिमाचल प्रदेश की स्थाई निवासी हो। यदि लड़की का विवाह ऐसे लड़के से होता है जो कि हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी नहीं है तब भी वह विवाह अनुदान हेतु पात्र होगी।

**2. आवेदन की प्रक्रिया**

लड़की के माता-पिता /अभिभावकों लड़की द्वारा स्वयं यदि वह बेसहारा है, संबधित बाल विकास परियोजना अधिकारी /प्रभारी नारी सेवा सदन/अधीक्षक, बालिका आश्रम को अनुबन्ध "क" पर दर्शाए गए प्रपत्र पर आवेदन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी/ प्रभारी नारी सेवा सदन/अधीक्षक बालिका आश्रम द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा।

**3. अनुदान की राशि**

विवाह अनुदान के रूप में मु0 31000/- (इकतीस हजार) रुपये केवल की आर्थिक सहायता प्रत्येक मामले में लड़की के माता-पिता /अभिभावकों को प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार अनुदान की राशि को जीवन यापन हेतु खर्च को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर बढ़ाने के लिए सक्षम होगी।

**4. सक्षम अधिकारी**

संबधित जिला के जिला कार्यक्रम अधिकारी मु0 31000/- (इकतीस हजार रुपये केवल) की राशि उस लड़की/ महिला जो कि हिमाचल की स्थाई निवासी है तथा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है का विवाह अनुदान स्वीकृत करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

**5. आहरण एवं वितरण**

आहारण एवं वितरण जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी को किया जाएगा जो कि आवेदक/लाभार्थी को अनुदान राशि वितरित करेंगे। प्रस्तावित शादी की तारीख से दो महीने पहले राशि का भुगतान किया जा सकता है। यदि विवाह पहले ही हो चुका है, तो विवाह के छह महीने के भीतर भी आवेदक अनुदान राशि के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदक शादी के छः माह के बाद आवेदन करता/करती है तो आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उसे शगुन योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं दिया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी इस योजना के लिए अलग रिकॉर्ड रखेंगे और व्यय की लेखा परीक्षा, अन्य योजनाओं की तरह बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा की जाएगी। अनुदान राशि संबधित आवेदक के बैंक खाते में स्थानांतरित की जाएगी।



## 6. सत्यापन

बाल विकास परियोजना अधिकारी या राज्य गृह/ नारी सेवा सदन/ बालिका आश्रम के प्रभारी यह सत्यापित करेगा/ करेगी कि आवेदक द्वारा दिये गए सभी तथ्य सही हैं तथा उसके द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अथवा इसी प्रकार की विवाह हेतु अनुदान की किसी अन्य विभागीय योजना में लाभ नहीं दिया गया है। सम्बन्धित अधिकारी यह भी सत्यापित करेंगे कि शादी वास्तव में हुई है तथा राशि का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए यह राशि स्वीकृत की गई है।

## 7. नियम और शर्तें

(क) लड़कियों / महिलाओं के माता-पिता/अभिभावकों या स्वयं लड़की द्वारा, यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं, को अपने आवेदन के साथ निम्नलिखित जानकारी /दस्तावेज देने होंगे।

- (i) आवेदक/लड़की का हिमाचली प्रमाण पत्र  
(प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो)
- (ii) माता-पिता/अभिभावक का बी०पी०एल० प्रमाण पत्र या लड़की का स्वयं का, यदि उसके माता-पिता जीवित नहीं हैं या लापता हैं।  
(प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो)
- (iii) लड़की की जन्म तिथि का प्रमाण पत्र।  
(प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो)
- (iv) शादी की प्रस्तावित तिथि।  
(संबन्धित पंचायत / पार्षद/प्रभारी, नारी सेवा सदन, अधीक्षक बालिका आश्रम द्वारा सत्यापित हो)
- (v) यदि विवाह पहले ही हो चुका हो तो विवाह प्रमाण पत्र, जो कि हि० प्र० विवाह अधिनियम 1996 के अन्तर्गत अधिसूचना सम्बन्धित पंचायत सचिव/ सचिव नगर पंचायत, कार्यकारी अधिकारी नगर पालिका, नगर निगम द्वारा जारी किया गया हो।
- (vi) यदि लड़की के माता-पिता जीवित नहीं हैं/लापता, प्रमाण पत्र। (प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत /नगर पालिका /निगम द्वारा जारी किया गया हो)
- (vii) उस व्यक्ति का नाम व पता जिससे लड़की की शादी हो रही है। (प्रमाण पत्र सम्बन्धित पंचायत /नगर पालिका /निगम द्वारा जारी किया गया हो)
- (viii) उस व्यक्ति की जन्म तिथि जिससे लड़की की शादी हो रही है। (प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो व प्रस्तावित वर की आयु 21 वर्ष से कम न हो।
- (ख) आवेदक विवाह अनुदान के लिए केवल एक ही योजना के अन्तर्गत पात्र होगा/ होगी - मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अथवा शगुन योजना (पात्रता के आधार पर)।
- (ग) यदि अनुदान की राशि का उपयोग वितरण की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर माता-पिता/ अभिभावक/लड़की द्वारा उस प्रयोजन के लिए नहीं किया जाता है जिसके लिए राशि स्वीकृत हुई थी तो उस राशि को वापिस बाल विकास परियोजना अधिकारी के पास जमा करवाना अनिवार्य है।

## 8. खाते का शीर्षक :-

खर्च का लेखा जोखा लेखाशीर्ष " 2235-02-102-24-सून, जो समय-समय पर परिवर्तन के अधीन है में से किया जाएगा।



पृष्ठांकन संख्या :- दिनांक  
प्रतिलिपि:-

शिमला-2,

11 जून, 2021

1. समस्त प्रशासनिक सचिव हि0 प्र0 सरकार
2. समस्त विभागाध्यक्षों, हि0 प्र0
3. समस्त उपायुक्त, हि0 प्र0
4. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/ बाल विकास परियोजना अधिकारी हि0 प्र0
5. वरिष्ठ महालेखाकार हि0 प्र0 शिमला -3
6. नियंत्रक, मुद्रण और लेखन, हि0 प्र0 राजपत्र में प्रकाशन के लिए ।



(टी0 आर परमार)

उप सचिव (एस0जे0ई0)  
हिमाचल प्रदेश सरकार

प्रपत्र

शगुन योजना के अन्तर्गत लड़की के विवाह अनुदान हेतु आवेदन

1. आवेदक का नाम

2- प्रस्तावित वधू का नाम

3. पिता का नाम

4. माता का नाम

5. संरक्षक का नाम

6. प्रार्थी का स्थाई पता: गांव.....डा.....

पिन कोड.....पंचायत.....तहसील.....  
जिला.....

7. प्रस्तावित वधू की जन्म तिथि

8. प्रार्थी के बैंक खाता संख्या आई0 एफ0 एस0 सी0 कोड तथा शाखा का नाम

9. लड़की के माता-पिता/संरक्षक का व्यवसाय

10. बी0पी0एल0 नम्बर

11. लड़के का नाम व पता जिसके साथ लड़की का विवाह होना निर्धारित हुआ है या हो चुका है:

नाम.....पिता का नाम ..... गांव.....  
डा.....पिन कोड.....पंचायत.....  
तहसील.....जिला.....

12 लड़के की जन्म तिथि जिसके साथ लड़की का विवाह होना प्रस्तावित है

13 विवाह की प्रस्तावित तिथि जिसके साथ प्रस्तावित लड़की का विवाह होना है

14 विवाह की तिथि यदि विवाह हो चुका है

15 विवाह पंजीकरण की संख्या व तिथि

16 अनुदान की राशि

|                       |
|-----------------------|
| प्रार्थी<br>फोटोग्राफ |
|-----------------------|

### घोषणा

मै.....पुत्री.....  
गावं.....डा०.....तह०.....  
जिला.....सत्यानिष्ठा लेकर अपने ज्ञान अनुसार यह घोषणा करता/करती  
हूँ कि उक्त विवरण तथा तथ्य पूर्णतः सही है। इसमें कोई तथ्य असत्य नहीं है और न ही इसमें  
कोई भी तथ्य छुपाया गया है। मै यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने इस विभाग की मुख्यमंत्री  
कन्यादान योजना अथवा अन्य विवाह अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त नहीं किया है/  
नहीं करुंगा/ नहीं करुंगी।

प्रार्थी के हस्ताक्षर / अगुटे का निशान

प्रार्थना -पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाए:-

1. प्रस्तावित वर व वधू के आयु का प्रमाण पत्र।
2. लड़की की हिमाचली प्रमाण-पत्र जो सम्बन्धित राजस्व अधिकारी से जारी किया गया हो।
3. प्रस्तावित वधू के माता-पिता/अविभावक का बी०पी०एल० प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से जारी हो।
4. विवाह की निर्धारित तिथि का प्रमाण पत्र जो ग्राम पंचायत/शहरी निकायों से जारी हो।
5. यदि विवाह हो चुका है तो विवाह पंजीयक से जारी प्रमाण पत्र की प्रति।
6. यदि माता व पिता की मृत्यु हो गई है /लापता है तो प्रमाण पत्र जो सम्बन्धित सक्षम अधिकारी से जारी किया हो।

### ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री० /श्री मति /कु०.....  
पुत्र/पुत्री/ पत्नी.....गांव.....  
डा०.....तह०..... जिला.....  
हि० प्र०, बी०पी०एल० परिवार से सम्बन्धित है जिसका बी०पी०एल० संख्या.....  
है।  
दिनांक

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रधान ग्राम पंचायत  
(मोहर सहित)

ग्राम/नगर पंचायत सचिव /कार्यकारी अधिकारी एम०सी०  
(मोहर सहित)



### सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्री मति /कु०.....  
पुत्र/पुत्री/पत्नी .....गांव.....  
डा०.....तह०..... जिला.....हि० प्र०  
के द्वारा प्रार्थना पत्र में दिये गये पूर्ण तथ्यों की जांच की गई तथा योजना के प्रावधानों के अनुरूप पात्र है। अतः प्राथी को शगुन योजना 2021 के अन्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत करने की सिफारिश की जाती है। यह भी सत्यापित किया जाता है कि आवेदक को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अथवा विभाग की इस प्रकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत विवाह अनुदान नहीं दिया गया है।

दिनांक

हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना अधिकारी/  
प्रभारी, नारी सेवा सदन, /अधीक्षक बालिका आश्रम  
(मोहर सहित)